आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 254/इंदौर/2024

सोसायटी ऑफ सेंट जोसेफ्स हॉस्पीटल, हाऊसिंग बोर्ड रोड होशंगाबाद मध्यप्रदेश	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीटीएस 7198 ई PAN- AABTS7198E		

अपीलार्थी की ओर से	श्री राकेश चौधरी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री राम कुमार यादव, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	03.09.2024
उद्घोषणा तिथि	03.09.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन दाखिल किया गया है कि निर्धारिती ने वर्तमान अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के धारा 12एबी के अधीन पंजीकरण हेतु निर्धारिती के आवेदन खारिज करने के आदेश के विरूद्ध दाखिल की थी । यद्यपि, निर्धारिती द्वारा सूचित किया गया है कि उसे धारा 10(23सी) के अधीन पंजीकरण के द्वारा वांछित छूट प्राप्त हो गई है । निर्धारिती द्वारा पंजीकरण आदेश की प्रति भी दाखिल की गई है । उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि इस आदेश की प्राप्ति से निर्धारिती की शिकायत का निराकरण हो गया

है, अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश दिनांक 03.09.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-
(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

दिनांक : 03.09.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल